

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून
ट्रंसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून

निविदा फार्म

निविदा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि	—	06.05.2013
फार्म का मूल्य	—	रु0 100.00
ब्यापार कर	—	रु0 14.00
योग	—	<u>रु0 114.00</u>
धरोहर राशि	—	रु0 3000.00
धरोहर राशि का विवरण		
डी0डी0 / एफ0डी0आर0 का नम्बर	—	
दिनांक	—	
बैंक का नाम एवं शाखा	—	

s.no	Item details	Quantity	इंगित 08 मदों की समेकित बोली की धनराशि
1	Keyboards	08	अंकों में रु0
2	Color Monitor 14” CRT	25	
3	Printers	02	
4	UPS	14	
5	Mouse	09	शब्दों में रु0
6	Computer (CPU)	07	
7	Switch (24 port)	01	
8	Monitor 15” TFT	01	

हस्ताक्षर टेण्डर दाता / निविदादाता :

नाम एवं पता :

दिनांक :

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून

संख्या निल/कम्प्यूटर/नीलामी/2013

दिनांक 14.04.2013

निस्प्रयोज्य कम्प्यूटर सम्बन्धी सामग्रियों की बिक्री हेतु निविदादाताओं के लिए नियम व शर्तें

1. निस्प्रयोज्य सामग्री जहाँ पर है व जिस दिशा में है के आधार पर बिक्रय एवं हस्तगत की जायेगी।
2. प्रत्येक निविदादाता निर्धारित निविदा फार्म में ही अपनी बोली की धनराशी अंकित करेगा। व निविदा को निविदा बाक्स में डालेगा।
3. निविदा खोलते समय निविदादाता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
4. निविदा की धरोहर राशी संलग्न न करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा, निविदा बाक्स के माध्यम से ही दिनांक 06.5.2013 को 11 बजे तक स्वीकृत की जायेंगी इसके पश्चात निविदा बाक्स सील कर दी जायेगी जो निविदा समिति के समक्ष 11:30 बजे उसी दिन खोली जायेगी।
6. निविदा, टेण्डर बाक्स में डालने से पूर्व निविदा हेतु प्रस्तुत समस्त सामग्रियों को किसी भी कार्य दिवस में अच्छी प्रकार से देखा जा सकता है। निविदा डालने के उपरान्त कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
7. अधिकतम निविदादाता को निविदा की 25 प्रतिशत धनराशी उसी दिन नगद तथा शेष धनराशि सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निविदा स्वीकृत होने पर पत्र प्राप्ति के तीन दिन के भीतर नगद जमा करनी होगी। निर्धारित धनराशि जमा न किये जाने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए द्वितीय अधिकतम निविदादाता से उसके द्वारा दिये गये निविदा मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि उसी दिन जमा करायी जा सकती है। तथा

- ऐसी स्थिति में द्वितीय अधिकतम निविदादाता द्वारा निर्धारित धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर राशी भी जब्त कर दी जायेगी।
- 8- सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण अधिकारा होगा कि द्वितीय अधिकतम दर की निविदा पर विचार करने हेतु उसकी धरोहर धनराशी को तब तक रोक सकता है जब तक प्रथम निविदादाता द्वारा अवशेष धनराशी जमा नहीं कर दी जाती है शेष निविदादाताओं की धरोहर धनराशी वापस कर दी जायेगी।
 - 9- स्वीकृत अधिकतम मूल्य पर नियमानुसार जो भी कर देय होंगे, क्रेता द्वारा भुगतान किये जायेंगे।
 - 10- निविदादाता द्वारा अन्तिम भुगतान कर दिये जाने के उपरान्त तीन दिन के अन्दर विक्रय की गयी सामग्री को उठाना होगा अन्यथा की स्थिति में अधिकतम स्वीकृत मूल्य का पाँच प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त राशी छतिपूर्ति के रूप में सक्षम अधिकारी को लेने का अधिकार होगा। परन्तु 30 दिन बीतने के पश्चात भी सामग्री न उठाने की स्थिति में निविदा को रद्द करते हुए निविदादाता द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशी जब्त कर ली जायेगी।
 - 11- उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकते हैं अथवा पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही कर सकते हैं।
 - 12- निविदायें विभागीय गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में खोली जायेंगी।
 - 13- निविदा स्थगित होने, निविदा की तिथि बदलने या अन्य कोई विवाद होने की स्थिति में उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।